

Court of Principal District Judge, Buxar

Letter Administration NO. - 49/2025

Rajrishi Rai

Vs

Unknown

26.03.2026

आवेदक की ओर से पैरवी नहीं है। वाद बार—बार पुकारा गया। पुकार पर आवेदक की ओर से न कोई अधिवक्ता उपस्थित हुए न आवेदक ही उपस्थित हुए। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि वाद दिनांक 20.06.2025 से ग्रहण के विन्दु पर सुनवाई हेतु चल रहा है। दिनांक 25.02.2026 से लगातार तीन तिथियों से सुनवाई हेतु अंतिम चेतावनी के साथ समय दिया गया। आज वाद पुकारा गया। पुकार पर आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। इससे विदित होता है कि आवेदक को वाद में कोई अभिरुची नहीं है। अतः वाद अदम पैरवी में ...**खारिज**.... किया जाता है।

लेखापित

ह0 /—

प्रधान जिला न्यायाधीश

दिनांक:—26.03.2026